Arbitration, Conciliation and Alternative Disputes Resolution

LL.B. IV Sem

MANEESHA SHARMA
Law Faculty
N.A.S. P.G. College
Meerut

Scanned with CamScanner

प्रश्न. माध्यस्थम करार से आप क्या समझते है? इसके आवश्यक तत्व क्या है? क्या माध्यस्थम् करार पर पक्षों को हस्ताक्षर करने आवश्यक है? माध्यस्थम के पक्षों को निर्देशित करने की न्यायिक प्राधिकारी की निर्देशित करने की न्यायिक प्राधिकारी की शक्ति के विवेचना कीजिये। इस सम्बन्ध में न्यायालयों द्वारा क्या अन्तरिम उपाय स्वीकार किये जा सकते है।

उत्तर: माध्यस्थम् करार का अर्थ - धारा 7 (1) के अनुसार "माध्यस्थम् करार से तात्पर्य पक्षकारों के माध्य उस करार से है जो उन सभी या उत्पन्न हो गये है या पक्षकारों के मध्य सविदात्मक या अन्य विधिक सम्बन्धों के उनके मध्य उत्पन्न हो सकते।"

माध्यमाध्यस्थम् अधिनियम में दी गई उक्त परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि विवाद जिन्हें माध्यस्थाम करार द्वारा माध्यस्थम को सौंपा जाता है वह पक्षकारों के मध्य विधिक सम्बन्ध के कारण उत्पन्न हुये होने चाहिये भले ही ऐसा विधिक सम्बन्ध सविदात्मक हो या असविदात्मक प्रकार का हो।

माध्यस्थ करार के आवश्यक तत्व धारा 7 की उपधारा (2) से उपधारा (5) तक माध्यस्थम् करार की आवश्यकता शर्तों को स्पष्ट रूप से निम्न प्रकार वर्णित किया गया है -

1. माध्यस्थम् करार एक संविदा में माध्य स्थम् खण्ड के प्ररूप में या पृथक करार के प्ररूप में होना चाहिए धारा 7 (2) के अनुसार - यदि दो पक्षकार एक संविदा करते है तो इस संविदा के कई खण्ड होते है। इन खण्डों में एक खण्ड यह भी हो सकता है कि संविदा से उत्पन्न वैधानिक सम्बन्धों की बाबत यदि कोई विवाद तो उसे माध्यस्थम को सौंपा जायेगा। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि माध्यस्थम् करार संविदा के किसी खण्ड के रूप में भी करने को स्वतन्त्र है।

2. माध्यस्थम् करार लिखित होना चाहिए धारा 7 (3) के अनुसार, माध्यस्थम् करार लिखित होना चाहिए। माध्यस्थम् अधिनियम 1940 की धारा 2 (1) में भी यह स्पष्ट व्यवस्था थी कि माध्यस्थ करार लिखित होना चाहिए। लिखित करार का कोई प्ररूप निर्धारित नहीं है। परन्तु यह सुनिश्चित आवश्यक होना चाहिए।

3. कोई करार कब लिखित माना जायेगा धारा 7 की उपधारा (4) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कब यह कहा जायेगा कि करार लिखित होगा। इस उपधारा के अनुसार करार लिखित तभी माना जायेगा जब -

(क) यह पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया दस्तावेज हो

Scanned with CamScanner

(ख) यदि माध्यस्थम् करार पत्र टेलेक्स टेलिग्राम या संसूचना के विनिमय के किसी अन्य माध्यम से किया गया है जो अभिलेख के प्रमाणों के रूप में मान्य किया जा सके तब इस करार को लिखित करार माना जायेगा यह खण्ड संसूचना की आधुनिकता विधियों की मान्यता प्रदान करता है।

4. करार में माध्यस्थ खण्ड के सन्दर्भ में माध्यस्थ करार माना जायेगा धारा 7 की उपधारा (5) के अनुसार - यदि किसी करार में माध्यस्थम् खण्ड का सन्दर्भ दिया गया है तो यह माध्यस्थम् खण्ड माध्यस्थम् करार माना जायेगा। इस प्रकार एक माध्यस्थम करार सविंदा का एक अंग हो सकता है यदि वह लिखित हो। सविंदा प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 7 की यह उपधारा उस प्रथा को मान्यता देती है जिसमें सविंदा करार में माध्यस्थम् खण्ड हुआ करता था।

माध्यस्थम् के पक्षकार को निदेशित करने की शक्ति जहाँ एक माध्यस्थम् करार हो धारा 8 की उपधारा (1) के अनुसार "यदि विवाद को न्यायालय में पेश करने से पूर्व पक्षकार न्यायालय से प्रथम कथन करने से पूर्व ही यह अनुरोध करते हैं कि विवाद माध्यस्थ को सौंपा जाय तो न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि वह विवाद को माध्यस्थ को सौंपा सकता है।
(जम्मू - कश्मीर वन विभाग ब. अब्दुल करीम A.I.R 1979 SC. 1606]

धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसार - न्यायालय या न्यायिक अधिकरण तब तक धारा 8 उपधारा 1 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करेगा जब तक की धारा (1) के लिए पदकारों के आवेदन के साथ माध्यस्थम् करार की मूल प्रति या उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न न की गयी हो।

क्या माध्यस्थम् करार पर पक्षों को हस्ताक्षर करने आवश्यक है? धारा 7 (3) के अनुसार : माध्यस्थम करार लिखित होना चाहिए यद्यपि लिखित करार लिखित तभी माना जायेगा जब यह पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित हो

परन्तु धारा 7(5) ख का कहना है कि यदि पत्र टेलेक्स, तार या दूर संचार के अन्य माध्यमों का आदान - प्रदान किया गया हो जो करार के एक दस्तावेज का प्रावधान करता हो तथा जो दस्तावेज के रूप में मान्य किया जा सके तब ऐसे करार को लिखित करार माना जायेगा।

धारा 7(5) ग के अनुसार : यदि दावा तथा बचाव के आदान - प्रदान के कथन में एक पक्ष ने करार के अस्तित्व

Scanned with CamScanner

का आरोप लगाया है और दुसरे पक्ष ने इससे इकार नहीं किया है तो भी यह लिखित माध्यस्थम् करार माना जायेगा। अतः धारा 7 (4) के उपखण्ड (ख) और (ग) से प्रकट होता है कि सभी मामलों में माध्यस्थम् करार का पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक नहीं होता क्योंकि ये उपखण्ड संसूचना के ऐसे माध्यमों को मान्यता देते हैं जिनमें पक्षों हस्ताक्षरों की उपधारणा होती है।

[बनारसी दास ब० गन्ना आयुक्त A.I.R 1963 SC. 1417]